कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2017 में सहायक आचार्य (भौतिक विज्ञान) के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल–शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01.	श्रीमती सुचित्रा यादव, खोराबीसल (जालसू) जयपुर	भौतिक विज्ञान	30.10.1987	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के आदेश क्रमांकः संस्थापन–I/2019/चयन/14778 दिनांकः 31.08.2019

विभाग छोडने के बाद इनका नियमानुसार वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/अनापत्ति/अन्यत्र विभाग कार्यमुक्ति/2019 दिनांकः 09.09.19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. उपशासन सचिव, संबंधित विभाग ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत् ।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), संबंधित संभाग।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मुख्यालय जयपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

अजीम मोहम्मद राउमावि बमोरी, डाबर, कोटा पदनाम व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) जन्मतिथि 05.07.1961 को निजी धार्मिक विदेश यात्रा अरब (मक्का–मदीना) हेतु दिनांक 16.09.2019 से 30.09.2019 तक 15 दिवस की धार्मिक विदेश यात्रा अरब (मक्का–मदीना) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी. सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा क दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ–जहाँ पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

(ब) कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।

(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:– शिविरा/मा/संस्था/सी–6/राजविज्ञान/विदेश अनुज्ञा/17 दिनांक:– 09/09/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा............................
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.................
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक.........................
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)